

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

(सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक ०८ /

शेवा में।

अध्यक्ष/ व्यवस्थापक/ प्रबंधक,

दोली मीमन प्रिमियम सेल्स एन्ड एस्टेट
फैसला मुजफ्फरपुर

विषय :-

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण-पत्र।

मुज0, दिनांक २७.११.२०१२ /

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक ३३.९.११.२०११ और उसके क्रम में आपसे किये गये

पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय दोली मीमन प्रिमियम सेल्स एन्ड एस्टेट, कक्षा ५ से १२ तक संचालन हेतु तीन वर्षों २०१२-१३ से २०१५-१६ अवधि के लिए ऑपरेटरिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :

- प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर भाव्य नहीं होगी।
- विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
- कंडिका-3 में उल्लेख बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जागेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
- सोसाईटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का रक्कीनिंग ट्रेट नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
- विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे -
 - किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्काशित किया जाएगा।
 - किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

..... 2

- iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।
- v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।
- vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित व्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत हैं ऐसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित व्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित व्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे ।
- vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।
- viii. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।
9. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यबर्या का अनुसरण करेगा ।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।
11. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्भूत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा । विद्यालय के अंतिम विशीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः :-
- विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल,
- कुल निर्मित क्षेत्र,
- खेल के मैदान का क्षेत्र,
- वर्गकक्षों की कुल संख्या,
- प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष,
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय,
- पेयजल की सुविधा,
- मध्याहन भोजन के लिए रसोई-घर,
- बाधारहित पहुँच,
- शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय
12. कोई भी अप्रस्तीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा उसका अधिनियम अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होंगा ।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्ट एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी । प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान को भेजी जाएगी ।

(3)

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या ०८१५२३१११०२ है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृप्या अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. गिदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के बिबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अगुलणक-॥ के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रांशि० एवं सर्व शिक्षा अभियान)

बिहार शिक्षा परियोजना,

मुजफ्फरपुर।

२३/२१/११



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | MUZAFFARPUR

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र



फॉर्म - ADE/1090/HESP-MU2.

दिनांक - ०१.०८.२०२१

सेवा में

अधिकारी / व्यवस्थापक / प्रबंधक

HOLY MISSION SR SEC SCHOOL

CHAK HASAN (BANGRA), DIGHRA, N.H. 28, MUZAFFARPUR

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के क्षमता विद्यालय वर्गी प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

गहाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक: 10-09-2021 और उसके क्रमांक में आपसे किये गये प्रान्तीय एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिता रत्नीय विसदृष्टीय समिति के बैठक दिनांक : 29-07-2022 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय HOLY MISSION SR SEC SCHOOL, CHAK HASAN (BANGRA), DIGHRA, N.H. 28, MUZAFFARPUR, CHAK HASAN (BANGRA), 842002 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 29-07-2022 से 29-7-2025 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।


प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

- प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर सान्य नहीं होगी।
- विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पढ़ोस के कमजोर वर्ग एवं असामान्यता समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्ता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
- केंद्रिका 3 में उच्चत बच्चों के मासले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से दैनंदिन खाता का संचालन करेगा।
- सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अधिभावक का स्कीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
- विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :
 - किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोकाकर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक ढंड नहीं दिया जाएगा तथा माननियक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - अधिनियम के पावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समर्वेशन किया जाएगा।
 - शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - शिक्षक निवृत्ति स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिशीलि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।

af

९. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपतब्य सुविधाओं के ज्ञानुयात्रिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
१०. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपतब्य सुविधाओं का विवरण निम्नवतः
- (I) विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल :- 8793.83 डिसमित्र
 - (II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 8793.83 डिसमित्र
 - (III) खेल के पैदान के क्षेत्र :- HYGIENIC TOILETS, PURE AND CLEAN DRINKING WATER WITH R.C. AND WATER COOLER FACILITIES, SPORTS AND GAMES FACILITIES, MUSIC ETC.
 - (IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 57
 - (V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 10
 - (VI) वालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 26 , Girls 14
 - (VII) पेयजल की सुविधा :- 16
 - (VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0
 - (IX) वाधारहित पट्टैच, [] :-
 - (X) शिक्षण अधिगम सामग्री खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- YES, LIST CAN BE SEEN IN UPLOADED DOCUMENTS , YES, LIST CAN BE SEEN IN UPLOADED DOCUMENTS , (Y, 999 , NewsPaper Magazine:- 10)
११. कोई नी अपर्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
१२. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मेडान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कोशल विकास के लिए होगा।
१३. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1960 (1960 का 21) के अन्तर्गत निर्वाचित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी प्रौद्योगिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
१४. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
१५. लेखा का अकेक्षण एवं उसका प्रभाणीकरण चार्टर्ड एकाउनेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति ग्रन्थित जित्ता शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
१६. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्त्रीकृति कोड संख्या [21612122021910124743, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रताचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
१७. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा रामय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं गूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्वर से प्रस्त्रीकृति की शर्तों के लगातार रूप से प्रूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुगालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
१८. यदि सोसाईटी के निवधन के नवीकरण की किसी प्रकार की अवश्यकता है तो उसे सुनिहित किया जाए।
१९. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें



विद्यालय सभाजन

ह०/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी, MUZAFFARPUR
शिक्षा विभाग, विहार सरकार